भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4429
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

विनियामकों के साथ डाटा का आदान-प्रदान

4429. श्री एस. राजेन्द्रन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एमसीए21 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम के अनुपालन और कार्यान्वयन संबंधी फाइलिंग प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है/पूर्ण रूप से स्वचालित करने का विचार है ताकि भारतीय कारपोरेट क्षेत्र सूचना का एक इलेक्ट्रोनिक संग्रहण सृजित किया जा सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा कारपोरेट घपलों को रोकने और कारपोरेट कंपनियों के संबंध में निवेशकों को जानकारी मुहैया कराने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय आसूचना इकाई जैसे विभिन्न विनियामकों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ परस्पर आधार पर कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित डाटा का आदान-प्रदान किया जा रहा है/किए जाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी तंत्र/प्रणाली कब तक ईजाद किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख) : एमसीए21 पोर्टल, कंपनी अधिनियम के तहत सभी अनुपालन संबंधी फाइलिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल कुछ फाइलिंग के लिए नियमों पर आधारित वैधीकरण करता है, अन्य फाइलिंग के अनुमोदन के लिए नियामक अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। सभी फाइलिंग इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस के रूप में आम जनता द्वारा देखी जा सकती है।

(ग) और (घ) : पोर्टल में कारपोरेट डाटाबेस तक पहुंच विभिन्न नियामकों के लिए उपलब्ध है, जिनमें, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्तीय आसूचना इकाई इत्यादि शामिल है।

*****